न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

मुन्तकिली / टी.ए. / 9063 / 2011 / झुन्झूनूं

1. रूस्तम अली पुत्र स्व0 शोकत अली
2. श्रीमती शकीना पत्नी स्व0 शोकलअली
3. मु0 रूबीना पुत्री स्व0 शोकतअली
4. मु0 आबीदा पुत्री स्व0 शोकतअली
   जाति चेजारा मुसलमान निवासी पीपली चौक, झुंझूनूं।
5. मु0 नसीम पुत्री स्व0 शोकतअली पत्नी मेहमूद, जाति चेजारा मुसलमान, झुंझुनू।
6. अफजल पुत्र स्व0 शोकतअली
7. मु0 आमीना पुत्री स्व0 शोकतअली
8. मु0 नसरीन पुत्री स्व0 शोकतअली
9. मु0 समीम पुत्री स्व0 शोकतअली
   जाति चेजारा मुसलमान, निवासी पीपली चौक, झूंझुनूं, नाबालिगान जरिये वली माता श्रीमती शकीना पत्नी स्व0 शोकतअली, जाति चेजारा मुसलमान, निवासीगण पीपली चौक, झुंझुनू जरिये मुख्त्यारनाम आम अयूब पुत्र अहमद, जाति व्यापारी मुसलमान, निवासी वार्ड नं0 2, पीपली चौक, झुंझुनू।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री करणसिंह गोठवाल, पीठासीन अधिकारी, भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।
2. श्रीमती शहिदा बानो पत्नी स्व0 रमजान
3. महमूद अली पुत्र स्व0 रमजान
4. लतीफ पुत्र स्व0 रमजान
5. अब्बास पुत्र स्व0 रमजान
6. साजिद पुत्र स्व0 रमजान
7. इरशाद पुत्र स्व0 रमजान
   जाति मुसलमान चेजारा, निवासीगण मोहल्ला चेजारान, तहसील व जिला झुंझुनू।

—— अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री बी. एल. नवल, सदस्य

उपस्थित :–
(1) श्री विकास पाराशर, अभिभाषक प्रार्थीगण।
(2) श्रीनिवास बेनीवाल, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांक : 03 जुलाई, 2012

यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र धारा 233, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विद्वान् भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा प्रकरण संख्या 5/2011 उनवानी शहिदा बनाम रूस्तम अली वगैरह में की जा रही न्यायिक कार्यवाही के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया हैं।

2— मुंतकिली प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के यहां अपील संख्या 5/2011 उनवानी शाहिदा बनाम रूस्तम अली वगैरह विचाराधीन हैं। प्रार्थीगण—रेस्पोन्डेन्टस् अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी में अविश्वास व्यक्त करते हुए अपील संख्या 5/2011 की सुनवाई अन्य सक्षम न्यायालय से करवाना चाहते हैं, इस बाबत यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं।

3— हमने उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी।

4— प्रार्थीगण की तरफ से बहस करते हुए विद्वान् अभिभाषक श्री विकास पाराशर ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों का विवरण दोहराते हुए अवगत कराया कि भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी श्री करणसिंह गोठवाल स्थानीय विधायक, जो राज्य के चिकित्सा राज्य मंत्री भी हैं, के दबाव में है एवं वादग्रस्त आराजी स्थानीय विधायक के निकटतम व्यक्ति ने खरीद हेतु इकरारनामा कर रखा हैं, इसलिए प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं हैं। पीठासीन अधिकारी भ्रष्ट आचरण के व्यक्ति हैं एवं उनके इस आचरण को उद्धरत करते हुए उनके न्यायालय के बहुत से प्रकरणों में मुन्तकिली प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल में लम्बित हैं। प्रार्थीगण के पास मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा हैं। विद्वान् अभिभाषक का यह भी कहना हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की आड़ में अप्रार्थी पीठासीन अधिकारी जल्दबाजी में निर्णय करना चाहते हैं एवं उन्हें अधिनस्थ न्यायालय से न्याय की कोई उम्मीद नहीं हैं। अतः मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विचाराधीन अपील किसी भी सक्षम अपीलीय न्यायालय में हस्तान्तरित कर सुनवाई करवाई जाने का आदेश प्रदान करावें।

5— बहस के जवाब में अप्रार्थी संख्या 2 से 6 के विद्वान् अभिभाषक श्री श्रीनिवास बेनीवाल ने न्यायालय को बताया कि प्रार्थीगण की तरफ से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र के सभी तथ्य निराधार एवं तथ्यविहीन हैं। उन्होंने कथन किया कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष कई तथ्यों को छुपाया हैं। सच तो यह हैं कि अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20—5—2011 की पालना में विचाराधीन

अपील संख्या 5/2011 को तीन माह की अवधि में निस्तारित करने के आदेश की पालना कर रहे हैं। प्रार्थीगण की तरफ से माननीय राजस्व मण्डल में पहले भी मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया था। प्रकरण संख्या 5712/2011 निर्णय दिनांक 13–10–2011 की फोटो प्रति पेश करते हुए न्यायालय को बताया कि प्रार्थीगण का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। यह तथ्य न्यायालय को नहीं बताया गया। इतना ही नहीं प्रार्थीगण ने माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 13–10–2011 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 18069 पेश की, जो दिनांक 16–2–2012 को वापिस लेने के आधार पर खारिज कर दी गई।

6– विद्वान् अभिभाषक अप्रार्थीगण ने आगे कथन किया कि प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी के इकरारनामे की बात की हैं, इस बाबत न तो सबूत पेश किया व न ही इस कथन की पुष्टि में कोई स्वतंत्र शपथ पत्र पेश किया। प्रार्थीगण का स्वयं का आचरण न्यायालय के समक्ष हैं। प्रार्थीगण तथ्यों को छुपाने एवं मुकदमेंबाजी बढ़ाने के आदी हैं। मुन्तकिली प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यों पर बिना सबूत के पेश किया गया हैं, जो भारी कोस्ट के साथ खारिज किया जावें।

7– हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया।

8– मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की बिन्दुवार टिप्पणी ली गई। अप्रार्थी संख्या–1 ने रिपोर्ट में मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में उल्लेखित समस्त बिन्दुओं को मिथ्या व बनावटी करार देते हुए अवगत कराया कि प्रश्नगत अपील की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण को तीन माह में निर्णित करने के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए की जा रही हैं। पीठासीन अधिकारी किसी मंत्री के दबाव में नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या–1 ने यह भी अवगत कराया कि माननीय राजस्व मण्डल में पहले भी प्रार्थीगण की तरफ से हस्तगत प्रकरण का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 5712/2011 पेश किया गया था, जो खारिज कर दिया गया। माननीय राजस्व मण्डल के इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिवीजन भी खारिज की जा चुकी हैं। फिर भी यदि माननीय राजस्व मण्डल यह प्रकरण हस्तान्तरित करता हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं हैं।

9– मुन्तकिली प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत याचिका संख्या 18069/2011 व उसमें पारित निर्णय दिनांक 16–2–2011 तथा राजस्व मण्डल में प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 5712/2011 में पारित आदेश दिनांक 13–10–2011 का न तो संदर्भ दिया व न ही इस बारे में कुछ भी अवगत कराया। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त संदर्भित याचिका के निर्णय की फोटो प्रति व मण्डल द्वारा संदर्भित मुन्तकिली प्रार्थना पत्र के निर्णय की

फोटो प्रति पेश की गई। उक्त दोनों प्रकरणों के संबंध में प्रार्थीगण कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाये।

10— प्रार्थीगण ने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में कथन किया कि क्षेत्रीय विधायक, जो सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, के किसी नजदीकी व्यक्ति ने वादग्रस्त आराजी खरीद का इकरार कर रखा हैं एवं अप्रार्थी संख्या—1 माननीय राज्य मंत्री के दबाव में हैं, अतः प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या—1 से न्याय की उम्मीद नहीं हैं। हस्तगत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र के यह आधार पूर्व में प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 5712 / 2011 से भिन्न हैं। प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी के इकरार से संबंधित न तो कोई खरीददार का नाम उजागर किया व न ही इस कथन के समर्थन में कोई स्वतंत्र शपथ पत्र ही पेश किया। तथ्य तो यह हैं कि जिन माननीय राज्य मंत्री को क्षेत्रीय विधायक बता रहे हैं, वस्तुतः वे सीकर जिले में किसी भी विधानसभा क्षेत्र के सदस्य नहीं हैं एवं आधारहीन, तथ्यहीन तथा अवांछित आधार को मान्य करार नहीं किया जा सकता। राज्य के किसी माननीय राज्य मंत्री का उल्लेख बिना सबूत व आधार के मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में करना न सिर्फ अवांछित हैं, बल्कि अनुचित एवं अनैतिक भी हैं।

11— इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 5712 / 2011 में पारित निर्णय दिनांक 13—10—2011 के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 18069 / 2011 को प्रार्थीगण वापिस ले चुके हैं एवं उसके बाद फिर राजस्व मण्डल के समक्ष सभी तथ्यों को छुपाते हुए फिर से मुन्तकिली प्रार्थना पत्र भिन्न आधार लेकर पेश किया। प्रार्थीगण का यह आचरण अनुचित, ऐतराजपूर्ण एवं निन्दनीय हैं। प्रार्थीगण द्वारा मुख्त्यारनामा दिनांक 11—6—2010 की फोटो प्रति पेश की गई हैं, उसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता हैं कि इस मुख्तयारनामा में प्रार्थी संख्या 6 से 9 की सहमति पर हस्ताक्षर नहीं हैं।

12— उक्त तथ्यों के विश्लेषण उपरान्त यह स्पष्ट होता हैं कि प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र आधारहीन, तथ्यों के विरूद्ध, मिलावट, अवांछित व कानून की मंशा के विपरीत पेश किया गया हैं। मुन्तकिली हेतु एक भी दस्तावेजी सबूत भी पेश नहीं किय हैं, जो प्रार्थीगण के आरोपों की पुष्टि कर सके। प्रार्थीगण ने तथ्यों को छुपाते हुए एवं दुर्भावनापूर्ण यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं, जिसे खारिज किया जाता हैं एवं प्रार्थीगण को रूपये 500 / — बतौर कोस्ट अप्रार्थीगण को प्रदान करने का आदेश भी दिया जाता हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी. एल. नवल)
सदस्य